न्यायालय पंचम अपर जिला जज, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित– शाम कुमार (एच0जे0एस0)

प्रकीर्ण दीवानी अपील सं0–2/2018
सी0एन0आर0 नं0 यू0पी0एल0पी 010004532016

1– रामस्वरूप आयु लगभग 72 साल पुत्र भगवानदीन

2– कल्लू आयु 52 साल पुत्र रामस्वरूप

3– मनोज आयु लगभग 34 साल पुत्र रामस्वरूप

4– सन्दीप आयु लगभग 25 साल पुत्र रामस्वरूप

निवासीगण फुटहा, परगना भूड़, जिला–खीरी ।

––––– अपीलार्थीगण

बनाम

रूपनरायन आयु लगभग 49 साल पुत्र जगन्नाथ नि0 फुटहा परगना भूड़, जिला– खीरी ।

––––––––– विपक्षी

निर्णय

प्रस्तुत दीवानी अपील अपीलार्थीगण के द्वारा आदेश 43 नियम 1 सी0 पी0सी0 के अन्तर्गत न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डी0) लखीमपुर–खीरी के द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0– 11/2016 रामस्वरूप बनाम रूपनरायन, में पारित आदेश किये गये आदेश दिनांक– 15–12–2017 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है ।

संक्षेप में प्रस्तुत अपील की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि प्रस्तुत अपील के विपक्षी रूपनरायन के द्वारा बहैसियत वादी प्रस्तुत अपील के अपीलार्थीगण को प्रतिवादी बनाते हुए न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) लखीमपुर–खीरी मे प्रा0 दीवानी वाद सं0– 855/2011 वाद को इन अभिकथनो से योजित किया गया है कि विवादित सम्पत्ति जिसे वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी अ,ब,स ,द से प्रदर्शित किया गया है उसको विपक्षी रूपनरायन के द्वारा पारिवारिक विभाजन से प्राप्त करने तथा उक्त सम्पत्ति से प्रतिवादीगण/ प्रस्तुत अपील के अपीलार्थीगण का कोई सरोकार नहीं होने लेकिन विवादित सम्पत्ति पर स्थित पेंड़ों को काटकर अनाधिकृत कब्जा करने के प्रयास करने पर वादी /प्रस्तुत अपील के विपक्षी के द्वारा स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु वाद को योजित किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी/ अपीलार्थी के विरूद्ध नोटिस को जारी करने पर प्रतिवादी/अपीलार्थी के उपस्थित नहीं आने पर वाद कार्यवाही को एकपक्षीय रूप से अग्रसारित कर साक्ष्य को लेकर वादी /प्रस्तुत अपील के

विपक्षी के हक में विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाथी एकपक्षीय रूप से दिनांक–5–2–2016 को न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डिवी0), लखीमपुर–खीरी के द्वारा उक्त योजित प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 को आज्ञप्ति किया गया । सम्बंधित पारित आज्ञप्ति के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा आदेश–9 नियम 13 सी0पी0 के अन्तर्गत पारित आज्ञप्ति को अपास्त कराने हेतु प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0– 11/2016 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डी0), लखीमपुर–खीरी में योजित किया गया जिसमें नोटिस जारी करने पर प्रस्तुत अपील के विपक्षी उपस्थित आये तथा मामले में उभय पक्षों की आपत्ति को लेने के उपरान्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक– 15–12–2017 को अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा दिये गये 3ख प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को निरस्त करने के सन्दर्भ में आदेश को निर्गत किया गया है ।

अपीलार्थी के द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0– 11/2016 में पारित किये गये उपरोक्त आदेश दिनांकित– 15–12–2017 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील को योजित करने का कारण बताया है ।

अपीलार्थी के द्वारा अपील जरिये आलोच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरीत अपीलार्थी के अनपढ़ गंवार होने व विधिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होने के तथ्य को देखे बगैर एकपक्षीय रूप से आदेश को पारित किया गया है जिसे अपीलार्थी के द्वारा अपास्त कराकर आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में आदेश को निर्गत किया जाना चाहा है ।

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के सम्मुख योजित किये जाने पर अपील अंगीकृत होने के उपरान्त न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0–4,लखीमपुर–खीरी को स्थानान्तरित की गयी जहां से पत्रावली जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के आदेश दिनांकित–2–8–2018 तहत न्यायालय पंचम अपर जिला जज, लखीमपुर–खीरी को स्थानान्तरण से प्राप्त करायी गयी ।

मामले में विपक्षी उपस्थित आये तथा उनके द्वारा 19 क आपत्ति को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा मिथ्या आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को दिया गया था जिसे न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील निर्धारित अवधि में नहीं है विलम्ब से

प्रस्तुत की गयी है । इस कारण अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

उभय पक्षों को मामले में उपस्थित आने पर बहस सुनकर पत्रावली को आदेश हेतु नियत किया गया ।

मैने प्रस्तुत अपील की पत्रावली के साथ तलवशुदा दीवानी प्रकीर्ण वाद सं0–11/2016 व मूल वाद सं0–885/2011 की पत्रावली को तलव किया गया व उस पर मौजूद आदेशिका का सम्यक परिशीलन किया ।

प्रस्तुत अपील को अपीलार्थी के द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित– 15–12–2017 के विरूद्ध न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के सम्मुख योजित किया गया है। प्रकीर्ण दीवानी अपील सं0–11/2016 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत मूल वाद सं0–855/2011 में पारित की गयी एकपक्षीय आज्ञप्ति दिनांक–5–2–2016 को अपास्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र को देने में हुये विलम्ब के सन्दर्भ में उक्त विलम्ब को क्षमा करने के प्रार्थना–पत्र के साथ दिया है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित– 15–12–2017 के तहत निरस्त किया गया ।एकपक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त कराने के सन्दर्भ में भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत 30 दिन की मियाद अवधि आज्ञप्ति पारित करने के दिनांक से अथवा सम्मन व नोटिस की तामीला जहां सम्यक रूप से नहीं हुई हो वहां प्रार्थी के द्वारा आज्ञप्ति के दिनांक से होने के सन्दर्भ में मियाद अवधि के प्राविधान को दिया गया है ।पारित किये गये आलोच्य आदेश के विरूद्ध अपील को निर्धारित अवधि 30 दिन की मियाद के भीतर दिनांक– 22–12–2017 को योजित किया गया है । तद्नुसार प्रस्तुत अपील निर्धारित अवधि में योजित करने का तथ्य निष्कर्षित होता है ।

तलवशुदा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश से सम्बंधित प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011,रूपनरायन बनाम रामस्वरूप का अवलोकन करने पर उक्त पत्रावली के परिशीलन पर पाया गया कि सम्बंधित मामले में विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश दिनांकित–29–1–2013 के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक– 24–7–2013 को पर्याप्त तामीला का होना माना गया है लेकिन पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विपक्षीगण पर तामीला किस प्रकार से पर्याप्त रूप से माना गया है, उक्त सन्दर्भ में सम्बंधित विलेख जिसके आधार पर विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त होना माना गया है, उसके सन्दर्भ में किसी उल्लेख को अपने आदेश दिनांकित–29–1–2013 व

24–7–2013 तहत नहीं किया जाना पाया गया है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0– 11/2016 के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए दिनांक–17–01–2012 को प्रार्थी सं0–3 पर लिखित कथन दाखिल करने हेतु 15 घ प्रार्थना–पत्र को प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 की पत्रावली पर मौजूद होने व व्यक्तिगत तामीला के सन्दर्भ में 19क के रूप में विलेख मौजूद होने एवं प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 को रामस्वरूप प्रतिवादी सं0–1 का पुत्र होने के कारण एक ही परिवार का सदस्य होने के कारण उन पर सम्मन प्राप्त नहीं होने एवं वाद की जानकारी नहीं होने के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये प्रार्थीगण के तर्को को अविश्वसनीय होने के मत को देते हुए धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने के सन्दर्भ में जिस मत को दिया गया है उसका आंकलन तलवशुदा प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 की पत्रावली पर मौजूद प्रलेखो से करने पर पाया गया है कि 19 क सम्मन नोटिस के जरिये कल्लू पुत्र रामस्वरूप के द्वारा नोटिस को इन्कारी से वापस करने, रामस्वरूप पुत्र भगवानदीन के द्वारा व्यक्तिगत तामीला को लेने तथा संदीप पुत्र रामस्वरूप व मनोज पुत्र रामस्वरूप द्वारा व्यक्तिगत तामीला होने के सन्दर्भ में 19क/1 लगायत 19क/8 सम्मन नोटिस को संलग्न पाया गया है । सम्बंधित सम्मन व नोटिस में सुनवाई हेतु नियत दिनांक–15–12–2011 व 22–12–2011 नियत है, जो पत्रावली पर मौजूद आदेशिका व वाद–पत्र के अवलोकन तहत प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 के दिनांक– 15–11–2011 को वाद योजित करने के दिनांक पर प्रतिवाद–पत्र एवं वाद बिन्दु को विनिश्चित करने दिनांक से सम्बंधित है तथा सम्बंधित आदेशिका पर उक्त जारी किया गया सम्मन व नोटिस तामीला हेतु नियत दिनांक– 15–12–2011/22–12–2011 नियत है। प्रा0दीवानी वाद सं0– 855/2011 के अवलोकन पर पाया गया कि अमीन के जरिये विवादित सम्पत्ति के सन्दर्भ में आख्या दिये जाने के बाबत प्रार्थना–पत्र को दिये जाने पर न्यायालय के द्वारा दिनांक–15–11–2011 को अमीन के जरिये दिनांक– 5–12–2011 तक आख्या को दिये जाने के सन्दर्भ में आदेश को निर्गत करने पर अमीन आख्या 15 ग न्यायालय में दाखिल की गयी है जिसमें विपक्षी सं0–3 की उपस्थिति में वादी के साथ विवादित सम्पत्ति पर निरीक्षण कर आख्या को दिया गया है। पत्रावली पर मौजूद आदेशिका के अवलोकन पर दिनांक– 29–01–2013 को विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त होने का उल्लेख है,लेकिन उक्त तामीला किस प्रकार से पर्याप्त मानी गयी है इसका उल्लेख विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली पर मनोज पुत्र रामस्वरूप के द्वारा दिनांक–17–1–2012 को 18 घ प्रार्थना–पत्र को मुकदमा पैरवी करने हेतु अधिवक्ता को नियुक्त करने के सन्दर्भ में प्रार्थना–पत्र को यद्यपि संलग्न पाया गया है लेकिन विपक्षी/प्रस्तुत वाद के प्रार्थी सं0–3 के द्वारा मामले में पैरवी करने हेतु किसी भी अधिवक्ता के वकालतनामें को संलग्न नहीं पाया गया है। पत्रावली पर दिनांक 17–01–2012 को विपक्षी सं0–3/प्रस्तुत वाद के प्रार्थी सं0–3 के द्वारा दिये गये स्थगन प्रार्थना–पत्र को मु0–100/रूपया हर्जे पर स्वीकार करने के उपरान्त सुनवाई हेतु दिनांक– 21–2–2012 को नियत किया गया था तो उसके उपरान्त आदेशिका पर प्रतिवादी की उपस्थिति के सन्दर्भ में दिनांक–29–1–2013 तक प्रतिवादी की अनुपस्थिति होने के सन्दर्भ में आदेशिका पर इन्द्राज को पाया गया है तो उक्त दिनांक पर किस आधार पर प्रतिवादीगण पर पर्याप्त तामीला को माना गया है उसका उल्लेख पत्रावली पर नहीं पाया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रा0दीवानी वाद सं0– 855/2011 दिनांक–24–07–2013 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित करने के उपरान्त पत्रावली जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित–16–4–2014 तहत न्यायालय सिविल जज (सी0डिवी0), लखीमपुर–खीरी से अपर सिविल जज (सी0डिवी0),लखीमपुर–खीरी को प्राप्त कराया गया तथा पत्रावली दिनांक–6–8–2014 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया एवं उसके उपरान्त सम्बंधित वाद को प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0–26/2014 के माध्यम से प्रस्तुत वाद के विपक्षी एवं प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 के वादी के द्वारा पुर्नस्थापना आदेश दिनांकित–25–2–2015 तहत करने के उपरान्त प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 दिनांक–8–4–2015 को पुर्नस्थापित होकर प्राप्त होने पर प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 के प्रतिवादीगण जो कि प्रस्तुत वाद के प्रार्थी हैं उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की सूचना को वाद को पुर्नस्थापित होकर संचालित किये जाने के सन्दर्भ में दिये बगैर करते हुए एकपक्षीय साक्ष्य हेतु वाद को नियत कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक–5–2–2016 को एकपक्षीय आज्ञप्ति को पारित किये जाने का तथ्य इस स्तर पर पाया गया है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अगर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दाखिल किये गये विलेख19क/1 लगायत19क/8 के सम्मन व नोटिस के आधार पर मामले के प्रतिवादीगण पर्याप्त तामीला के माना गया तो उसका उल्लेख न्यायालय मे सुनवाई हेतु नियत दिनांक– 22–12–2011 को करना चाहिये था लेकिन न्यायालय के द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भी आदेश

को नहीं किया जाना जहॉ पत्रावली पर पाया गया है,वहीं दिनांक– 29–1–2013 को प्रतिवादीगण पर तामीला किस प्रकार से पर्याप्त मानी गयी उसका उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं पाया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि वाद के एकपक्षीय साक्ष्य मे नियत किये जाने के उपरान्त उक्त प्रारम्भिक दीवानी वाद दिनांक– 6–8–2014 को निरस्त किया गया तथा उसके उपरान्त पत्रावली दिनांक–8–4–2015 को पुर्नस्थापित होकर सुनवाई हेतु प्राप्त करायी गयी। लेकिन वाद के पुर्नस्थापित होने के उपरान्त वाद सुनवाई के सन्दर्भ में किसी भी सूचना को जब कि पत्रावली वाद निरस्त करने से पूर्व जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के आदेश से न्यायालय सिविल जज (सी0डिवी0) से अपर सिविल जज (सी0डिवी0), लखीमपुर–खीरी को स्थानान्तरित की गयी थी, उस बाबत किसी भी सूचना को प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 के पुर्नस्थापित होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को दिये बगैर किया जाना पत्रावली पर पाया गया है ।

प्रार्थी के द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डिवी0),लखीमपुर– खीरी, प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0–11/2016 के अन्तर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये एकपक्षीय निर्णय आज्ञप्ति दिनांक–5–2–2016 को अपास्त कराने हेतु दिनांक–21–3–2016 को धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को देते हुए आदेश–9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र को देने में विलम्ब को क्षमा करने के सन्दर्भ में दिया गया तथा प्रार्थी के द्वारा अपने धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना–पत्र में प्रा0दीवानी वाद सं0– 855/2011 के वादी के द्वारा दिनांक–18–3–2016 को वाद सम्पत्ति को बेदखल करने के प्रयास को करने पर अपने विरूद्ध प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 में पारित आदेश की जानकारी होने तथा अधिवक्ता को नियुक्त कराकर पत्रावली का निरीक्षण कराकर दिनांक–21–3–2013 को बगैर किसी विलम्ब के प्रार्थना–पत्र को दिये जाने एवं अगर कोई विलम्ब हुआ है तो उसे प्रार्थीगण के द्वारा जानबूझकर विलम्ब को नहीं किये जाने के सन्दर्भ में कथन को करते हुए दिया गया है ।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 में पारित की गयी एकपक्षीय आज्ञप्ति दिनांकित– 5–2–2016 के विरूद्ध प्रार्थीगण के द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0–11/2016 में आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रार्थना–पत्र मय धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना –पत्र के साथ दिनांक–21–3–2016 को दिया गया है। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के **अनुच्छेद123** के तहत आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर

एकपक्षीय आज्ञप्ति अपास्त कराने हेतु प्रार्थना–पत्र को दिये जाने की समयावधि प्रदत्त की गयी है। उक्त अवधि से गणना करने पर प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख लगभग 16 दिन के विलम्ब से एकपक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना–पत्र धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को दिये जाने का तथ्य इस स्तर पर सामने आता है ।

विधि का यह स्थापित सिद्धान्त हैं कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत विलम्ब को क्षमा करने के सम्बन्ध में न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये विलम्ब के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुये लचीला रूख को अपनाया जाना चाहिये तथा न्यायालय पर यह भरोसा होना चाहिये कि मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जाये तथा परिसीमा से संबंधित तकनीकी विवाद के आधार पर वाद को निस्तारित नहीं करना चाहिये।

उक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णय विधि व्यवस्थाओ में वाद के काल बाधित होने की स्थिति में लचीला रूख परिसीमा के प्रश्न को निर्धारित करने के संदर्भ में लेने के अभिमत को दिया गया है । उक्त संदर्भ में निम्न निर्णय विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है :–

1. **स्टैट आफ यू. पी. बनाम गौरी शंकर 1992 ए.सी. जे. पृष्ठ 606,**
2. **म्यूनिसपिल कॉरपोरेशन आफ देहली बनाम गिरधारी लाल सप्रू ए.आई. आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 1169,**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही यह भी अवधारित किया गया है कि पक्षकार पर विलम्ब के संदर्भ में दिन प्रति दिन हुए बिलम्ब की बाबत स्पष्टीकरण दिये जाने की बाध्यता नहीं होती है । उक्त संदर्भ में निम्न निर्णय विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है

सैनिक सिक्योरिटी बनाम शीलबाई 2008(71) ए.एल. जे. पृष्ट 302 सुप्रीम कोर्ट।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही अपील को योजित करने में हुए विलम्ब के संदर्भ में लचीला रूख अपनाये जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश को दिया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में **स्टेट बनाम अहमदजान, 2009 (64) ए.सी.सी. 571** विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है ।

उपरोक्त निर्णय विधि व्यवस्था एवं विवेचन के दृष्टिगत इस स्तर पर प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 पर मात्र विपक्षी सं0–3 जो कि प्रस्तुत वाद का प्रार्थी सं0–3 है उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख उपस्थित आने का तथ्य जहां सामने आता है वहीं दूसरी ओर मामले के अन्य किसी विपक्षी के द्वारा प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 में किसी भी प्रकार से उपस्थित नहीं आने एवं पत्रावली को जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के आदेश से न्यायालय सिविल

जज (सी0डिवी0), लखीमपुर–खीरी (जिसके द्वारा प्रतिवादीगण पर सम्यक तामीला की उपधारणा को आदेश दिनांकित– 24–7–2013 को वाद के निरस्त होने से पूर्व किया) से अपर सिविल जज (सी0डिवी0), लखीमपुर –खीरी को स्थानान्तरित किये जाने एवं न्यायालय अपर सिविल जज (सी0 डिवी0), लखीमपुर–खीरी में पक्षकारों की अनुपस्थिति में वाद निरस्त करने के उपरान्त वाद को मूल वाद पर कायम होने के उपरान्त किसी भी सूचना को प्रतिवादीगण/प्रस्तुत वाद के प्रार्थीगण पर दिये बगैर किये जाने का तथ्य इस स्तर पर सामने आता है । अतः जब कि प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 के वादी के द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डिवी0) लखीमपुर–खीरी में योजित करने व वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर उक्त वाद के निरस्त होने पर वाद को पुर्नस्थापित करने के उपरान्त वाद पक्षकारो पर सूचित करने के दायित्वो की उपेक्षा को करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आज्ञप्ति को पारित किये जाने का तथ्य इस स्तर पर सामने आता है ।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस तर्क को प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी सं0–3 पर व्यक्तिगत तामीला होने के उपरान्त प्रा0दीवानी वाद सं0–855/2011 में 19ग स्थगन प्रार्थना–पत्र के जरिये वाद में उपस्थित आने के उपरान्त अनुपस्थित होने के कारण पारित की गयी एकपक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त कराने का कोई अधिकार नहीं है । उक्त सन्दर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी के अन्तर्गत इस प्राविधान को दिया गया है कि ––

<u>आदेश 9 नियम </u>13– प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गयी है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गयी थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गयी थी या वह वाद की सुनवाई के लिये पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में,न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिन नियत करेगाः

परन्तु जहां डिकी ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिये और वादी के दावे का उत्तर देने के लिये पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिकी को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

स्पष्टीकरण— जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिकी के विरूद्ध अपील की गयी है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले जी है वहां उस एकपक्षीय डिकी को अपास्त करने के लिये इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा ।

उपरोक्त दिये गये प्राविधान से स्पष्ट होता है कि जहां पर पारित आज्ञप्ति की प्रकृति इस प्रकार की है कि **केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी ।**

उपरोक्त विवेचन आलोक में पत्रावली पर जब कि प्रार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख प्रा0दीवानी वाद सं0— 855/2011 में संचालित की जा रही एक पक्षीय कार्यवाही के सन्दर्भ में जानकारी नहीं होने के सन्दर्भ में समुचित व युक्ति—युक्त कारण को दर्शित किया गया है तो ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0— 11/2016 में पारित किये गये आलोच्य आदेश दिनांकित— 15—12—2017 जिसके जरिये प्रार्थी के द्वारा एकपक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त करने हेतु धारा—5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना—पत्र साथ समर्थित करते हुए आदेश—9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना—पत्र को एक ही आदेश के जरिये निरस्त करने के सन्दर्भ में पारित किया गया आदेश विधि एवं तर्क संगत प्रतीत नहीं होने का तथ्य इस स्तर पर सामने आता है । उपरोक्त विवेचन आलोक में तद्नुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0— 11/2016 में पारित किये गये आदेश दिनांकित— 15—12—2017 को विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होंने के कारण अपास्त किये जाने योग्य पाता हूं ।

आदेश

अपीलार्थी की प्रस्तुत अपील विरूद्ध विपक्षी सव्यय स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकीर्ण दीवानी सं0– 11/2016 रामस्वरूप बनाम रूपनारायन में पारित किये गये आदेश दिनांकित– 15–12–2017 को अपास्त किया जाता है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अविलम्ब अपील में पारित किये गये निर्णय की प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित किया जावे कि निर्णय में व्यक्त निष्कर्षो के अधीन अपीलार्थी के द्वारा दिये गये धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम व उससे सम्बंधित आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र पर पुनः उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण–दोष पर सम्बंधित प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख दिनांक– 17–9–2018 को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।

दिनांक 15–9–2018

(शाम कुमार)
पंचम अपर जिला जज,
लखीमपुर–खीरी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 15–9–2018

(शाम कुमार)
पंचम अपर जिला जज,
लखीमपुर–खीरी